

20.11.24

पत्रावली पत्रा हुई। वकील अधिवक्ता अडपस्थित न्यायालय द्वारा सुन-सुन
 उई वार अवाज लगावई बाबजूद इलेउ उपस्थित नहीं हुआ ना ही जायातय
 समय समाप्ति तक कोई उपस्थित हुआ जितने जाहिर है कि वकील अपने वाद
 के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद चलाना नहीं चाहता है।
 अतः वकील अ वाद आदेश न्यम 8 के तहत अदम हाजरी- अदम
 पेशी के खासि खिया जाता है। निर्णय लेर उजलात खुनाफा गयाना प्रकण
 कंसलशुमार होउर नम्बर से कम है।

(रियासिबी)
 DAS